SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Cost Accountant	One Subject to variation dependent on work load	General Central Service (Group 'C' Non-Gazetted)	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation: Officers under the Central Government — (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 year's service in the scale of pay of Rs. 425-700; or equivalent scale of pay; and (b) (i) having passed the Intermediate Examination of the Institute of Cost and Works Accountant of India; or (ii) having obtained Government Commercial Diploma with Accountancy as a subject. (The period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	—Not applicable	Not applicable

[File No. A-12018(1)/80-OC]

Smt. G. MUKHERJEE, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 जून, 1983

का० आ० सं० 505 —संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल मंत्रालय के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ के यांत्रिक, सिविल, विद्युत, सिगनल एवं दूर संचार तथा यातायात विभाग के समूह 'ख' पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(1) ये नियम अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (समूह 'ख' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1983 कहलायेंगे

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान —उल्लिखित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4. अनर्हताएं —कोई भी व्यक्ति —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका कोई पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो वह किसी व्यक्ति का इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार —यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी श्रेणी या कोटि के व्यक्तियों के लिए शिथिल करने का आदेश दे सकती है।

6. व्यावृत्ति —इन नियमों में की गयी किसी व्यवस्था से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु-सीमा में शिथिलता तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II के नियम 2423-'क' के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
1. सहायक डिजाइन इंजीनियर/सहायक अनुसंधान इंजीनियर/सहायक निरीक्षण इंजीनियर/सहायक सम्पर्क इंजीनियर (यांत्रिक इंजीनियरी विभाग)	16 1982) कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अध्यधीन।	समूह 'ख' (राजपत्रित) (गैर-लिपिकीय पद)	650-30-810-ई०बी०-35-880-40-1000-ई०बी०-40-1200	चयन	30 वर्षों से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी —आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह होगी जो भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अंडमान एवं निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीपों के	नहीं	(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी की डिग्री अथवा समकक्ष (2) दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव टिप्पण 1. अन्यथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय है। टिप्पणी 2. यदि चयन के

1	2	3	4	5	6	6क	7
					उम्मीदवारों से भिन्न) से आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि हो।		किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिलनीय है।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु-सीमा तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(क) 75% रिक्तियां चयन के माध्यम से (जिसमें सामान्यतः एक लिखित परीक्षा तथा एक मौखिक परीक्षा शामिल होगी) यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के गैर लिपिकीय समूह 'ग' कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी। चयन निम्नलिखित में से किया जायेगा :— (ख) कर्मचारी जो ऐसे ग्रेड में पदधारी हो जिसका संशोधित वेतनमान में न्यूनतम ग्रेड 425/-रु० हो तथा उच्चतर समूह 'ग' ग्रेड में नियमित रूप से कार्यरत हो, बशर्ते कि उन्होंने 3 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा पूरी कर ली हो और 560/- रु० के चरण पर पहुंच गये हों। टिप्पणी :—यदि संगत न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करने के	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति. (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1 वरिष्ठ उप महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन 2 दो विभागाध्यक्ष (जिसमें एक विभागाध्यक्ष आवश्यक रूप से उस विभाग का होना चाहिए जिसके लिए चयन/परीक्षा आयोजित की जा रही हो। अरिष्ठतम सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष होगा)।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			कारण किसी कनिष्ठ कर्मचारी को चयन के लिए बुलाया जाये तो उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों को भी पात्र समझा जायेगा भले ही वे अपेक्षित न्यूनतम सेवा शर्तें पूरी न करते हों । (ख) 25% रिक्तियां सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी जिसमें यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के सभी ऐसे गैर-लिपिकीय कर्मचारी बैठ सकते हैं जो संशोधित वेतनमान में न्यूनतम 425 रु० वाले ग्रेड के पदों पर हों और उच्चतर समूह 'ग' ग्रेड वाले पदों पर हों और उस ग्रेड मे कम से कम 5 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा पूरी कर ली हो ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6क)	(7)
2. सहायक डिजाइन इंजीनियर/सहायक अनुसंधान इंजीनियर/सहायक निरीक्षण इंजीनियर/सहायक सम्पर्क इंजीनियर (सिविल इंजीनियरी विभाग)	17* (1982) *कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'ख' (राजपत्रित) (गैर-लिपिकीय)	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी :—आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वही होगी जो भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से (अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप, द्वीपों को छोड़कर) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है ।	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष । (2) दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव । टिप्पणी 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय है । टिप्पणी 2. यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग का यह विचार हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले मे संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिलनीय है ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा और उसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति. (क) 75 प्रतिशत रिक्तियां सिविल इंजीनियरी विभाग के गैरलिपिकीय समूह 'ग' कर्मचारियों में से चयन करके (जिसमें साधारणतः एक लिखित परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा भी शामिल होगी) पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। चयन ऐसे कर्मचारियों में से किया जायेगा जो संशोधित वेतनमान में न्यूनतम 425 रु० वाले ग्रेड या उससे ऊंचे ग्रेडों में समूह 'ग' के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत हों बशर्ते कि उन्होंने कम से कम तीन वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा की हो और 560 रु० के चरण पर पहुंच गये हों। टिप्पणी. यदि संगत न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करने के कारण किसी कनिष्ठ कर्मचारी को चयन के लिए बुलाया जाये तो उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों को भी पात्र समझा जायेगा भले ही वे अपेक्षित न्यूनतम सेवा शर्तें पूरी न करते हों। (ख) 25 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी जिसमें सिविल इंजीनियरी विभाग के ऐसे सभी गैर-लिपिकीय समूह 'ग' कर्मचारी बैठ सकते हैं जो संशोधित वेतनमान में न्यूनतम 425 रु० वाले ग्रेड के पदों पर या ऊंचे समूह 'ग' के ग्रेडों वाले पदों पर हों और उस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा पूरी कर ली हो।	समूह 'ख', विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1 वरिष्ठ उप महानिदेशक एक अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन 2 दो विभागाध्यक्ष (जिसमें एक विभागाध्यक्ष आवश्यक रूप से उस विभाग से होगा जिसके लिए चयन/परीक्षा आयोजित की जा रही है। वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष होगा)।	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6क)	(7)
3. सहायक डिजाईन इंजीनियर/ सहायक अनुसंधान इंजीनियर/ सहायक निरीक्षण इंजीनियर/ सहायक सम्पर्क इंजीनियर (बिजली इंजीनियरी विभाग)	15* (1982) *कार्य-भार पर आधारित परिवर्तन के अध्यधीन	समूह 'ख' (राजपत्रित) (गैर-लिपिकीय)	650-30-740-35-810-ई०रो०-35-880-40-1000-ई०रो०-40-1200 रु०	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित	नहीं	आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बिजली इंजीनियरी में डिग्री या समकक्ष। (2) दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। टिप्पणी : 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	6(क)	7
					करने के लिए निर्णायक तिथि वही होगी जो भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से (अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप, द्वीपों को छोड़कर) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है।	टिप्पणी: 2	यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग का यह विचार हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिलनीय है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा और उसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति (क) 75 प्रतिशत रिक्तियां बिजली इंजीनियरी विभाग के गैर-लिपिकीय समूह 'ग' कर्मचारियों में से चयन करके जिसमें साधारणतः एक लिखित परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा भी शामिल होगी, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। चयन ऐसे कर्मचारियों में से किया जायेगा जो संशोधित वेतनमान में न्यूनतम 425 रु० वाले ग्रेड या उससे ऊंचे ग्रेडों में समूह 'ग' के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत हों बशर्ते कि उन्होंने कम से कम तीन वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा की हो और 560 रु० के चरण पर पहुंच गये हों। टिप्पणी : यदि संगत न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करने के कारण किसी कनिष्ठ कर्मचारी को चयन के लिए बुलाया जाये तो उससे वरिष्ठ सभी कार्य कर्मचारियों को भी पात्र समझा जायेगा भले ही वे अपेक्षित न्यूनतम सेवा शर्तें पूरी न करते हों। (ख) 25 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी जिसमें बिजली इंजीनियरी विभाग के ऐसे सभी गैर-लिपिकीय समूह 'ग'	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति :—पदोन्नति पर विचार करने के लिए, 1. वरिष्ठ उप महानिदेशक अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन 2. दो विभागाध्यक्ष—जिसमे एक विभागाध्यक्ष आवश्यक रूप से उस से होगा जिसके लिए चयन/परीक्षा आयोजित की जा रही है। वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष होगा।	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

8	9	10	11	12	13
			कर्मचारी बैठ सकते जो संशोधित वेतनमान में न्यूनतम 425 रु० वाले ग्रेड के पदों पर या ऊंचे समूह 'ग' के ग्रेडों वाले पदों पर हो और उस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा पूरी कर ली हो।		

1	2	3	4	5	6	6क	7
4. सहायक इंजीनियर/ सहायक अनुसंधान इंजीनियर/सहायक निरीक्षण इंजीनियर/सहायक सम्पर्क इंजीनियर (सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियरी विभाग)	9* (1982) *कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अध्यधीन	समूह "ख" (राजपत्रित) (गैर लिपिकिय)	650-30-740-35-810 रु०रो० 35-880-40-1000-रु०रो०-40-1200 रु०	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी —आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वही होगी जो भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से (अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, द्वीपों को छोड़कर) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है।	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रानिक्स/बिजली दूर-संचार इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष। (2) दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग का यह विचार हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता शिथिलनीय है।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा और उसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : (क) 75 प्रतिशत रिक्तियां सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियरी विभाग के गैर लिपिकीय समूह "ग" कर्मचारियों में से चयन करके (जिसमें साधारणतः एक लिखित परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा भी शामिल होगी) पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। चयन ऐसे कर्मचारियों में से किया जायेगा जो संशोधित वेतनमान में न्यूनतम 425 रु० वाले ग्रेड या उससे ऊंचे ग्रेडों में समूह 'ग' के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत हों, बशर्ते कि उन्होंने	समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति: (पदोन्नति पर विचार करने के लिये) 1. वरिष्ठ उप-महानिदेशक अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन। 2. दो विभागाध्यक्ष (जिसमें एक विभागाध्यक्ष आवश्यक रूप से उस विभाग से होगा जिसके लिये चयन/परीक्षा आयोजित की जा रही है। वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष होगा।	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

8	9	10	11	12	13
			कम से कम तीन वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा की हो और 560 रु० के चरण पर पहुंच गये हों । टिप्पणी : यदि संगत न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करने के कारण किसी कनिष्ठ कर्मचारी को चयन के लिये बुलाया जाये तो उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों को भी पात्र समझा जायेगा भले ही वे अपेक्षित न्यूनतम सेवा शर्तें पूरी न करते हों। (ख) 25 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जायेंगी जिसमें सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियरी विभाग के सभी गैर-लिपिकीय समूह 'ग' कर्मचारी बैठ सकते हैं जो संशोधित वेतनमान में न्यूनतम 425 रु० वाले ग्रेड के पदों पर या ऊंचे समूह 'ग' के ग्रेडों वाले पदों पर हों और जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा पूरी कर ली हो।		

1	2	3	4	5	6	6क	7
5 सहायक अनुसंधान अधिकारी (मातायात)	1* *कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) (गैर लिपिकीय)	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता।

8	9	10	11	12	13
नहीं	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति :- मातायात अनुसंधान निदेशालय में कार्यरत समूह 'ग' कर्मचारियों (लिपिकीय कर्मचारियों तथा मनो तकनीकी कक्ष के कर्मचारियों से भिन्न) में से विभागीय चयन द्वारा (जिसमें सामान्यतः एक लिखित परीक्षा तथा एक मौखिक परीक्षा भी शामिल है)। चयन निम्नलिखित में से किया जायेगा । वे कर्मचारी जो ऐसे ग्रेड में पदधारी हों जिसका संशोधित वेतनमान में न्यूनतम ग्रेड 425/- रुपये हो तथा उच्चतर समूह 'ग' ग्रेड में नियमित रूप से कार्यरत हों बशर्ते कि उन्होंने 2 वर्ष की गैर-आकस्मिक सेवा पूरी कर	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति : 1. वरिष्ठ उप-महानिदेशक अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन । 2. दो विभागाध्यक्ष (जिसमें एक विभागाध्यक्ष आवश्यक रूप से उस विभाग से होगा जिसके लिये चयन/परीक्षा आयोजित की जा रही है।) वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष होगा।	इस पद पर किसी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

11

ली हो और 560 रु० के चरण पर पहुंच गये हों।

टिप्पणी :—यदि संगत न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा करने के कारण किसी कनिष्ठ कर्मचारी को चयन के लिए बुलाया जाए तो उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों को भी पात्र समझा जायेगा भले ही वे अपेक्षित न्यूनतम सेवा शर्तें पूरी न करते हों।

[सं० ई० आर० बी०-I/77/44/24]

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 16th June, 1983

G.S.R. 505.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Presiding hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Group 'B' posts in the Mechanical, Civil, Electrical, Signal and Tele Communication Engineering and Traffic Department in the Research Designs and Standards Organisation, Lucknow of the Ministry of Railways, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Research Designs and Standards Organisation (Group 'B' Technical Posts), Recruitment Rules, 1983.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruiment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether the selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 2423(A) Indian Railways Establishment Code Volume II	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Assistant Design Engineer/Assistant Research Engineer/ Assistant Inspecting Engineer/ Assistant Liaison Engineer.(Mechanical Engineering Department)	16* (1982) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B' (Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35 880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government).	No	Essential : (1) Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or equivalent (2) Two years professional experience. Note 1 :—The qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
					Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	(a) 75% of the vacancies shall be filled by promotion through selection (which will include ordinarily a written test and also a viva-voce test) of the non-ministerial Group (C) staff of the Mechanical Engineering Department. The selection will be made from : The staff holding the posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grades on a regular basis, provided that they have rendered a minimum of three years' non-fortutious service and have reached the stage of Rs. 560/-. Note : In case a junior employee is considered for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all persons senior to	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion). 1. Senior Deputy Director General, Research Designs and Standards Organisation. 2. Two Heads of Department (One head of Department will necessarily be from the Department for which the selection/examination is being conducted. Seniormost member will be the Chairman of Departmental Promotion Committee).	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

8	9	10	11	12	13
			him shall also be held eligible notwithstanding that they may not satisfy the requisite minimum service conditions. (b) 25% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive examination open to all non-ministerial Group 'C' staff of the Mechanical Engineering Department holding the posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' Grade and have rendered a minimum of five years non-fortutious service in the grade.		

1	2	4	5	6(a)	7		
2. Assistant Design Engineer/Assistant Research Engineer/ Assistant Inspecting Engineer/ Assistant Liaison Engineer (Civil Engineering Department)	17* (1982) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' (Gazetted) (Non-ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Two years professional experience. Note :1—The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2:—The qualification(s) regarding experience is are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	1–	13
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : (a) 75% of the vacancies shall be filled by promotion through selection	Group 'B' Departmental promotion committee (for considering promotion)	Consultation

8	9	10	11	12	13
			(which will include ordinarily a written test and also a viva-voce test) of the non-ministerial Group 'C' staff of the Civil Engineering Department. The selection will be made from : The staff holding the posts in the grade the the posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grades on a regular basis, provided that they have rendered a minimum of three years' non-fortutious service and have reached the stage of Rs. 560/. Note :—In case a junior employee is considered for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions all persons senior to him shall also be held to be eligible notwithstanding that they may not satisfy the requisite minimum service conditions. (b) 25% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive examination open to all non-ministerial Group 'C' staff of the Civil Engineering Department holding the posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grade and have rendered a minimum of five years non-fortutious service in the grade.	1. Senior Deputy Director General, Research Designs and Standards Organisation. 2. Two Heads of Department (one Head of Department will necessarily be from the Department for which the selection/examination is being conducted. Senior most member will be the Chairman).	with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
3. Assistant Design Engineer/ Assistant Research Engineer/ Assistant Inspecting Engineer/Assistant Liaison Engineer (Electrical Engineering Department)	13* (1982) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Gazetted (non-ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1,000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other	No	Essential : (i) Degree in Electrical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Two years professional experience. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
					than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).		Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe is, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	(a) 75% of the vacancies shall be filled by promotion through selection (which will include ordinarily a written test and also a viva-voce test) of the non-Ministerial Group 'C' staff of the Electrical Engineering Department. the selection will be made from The staff holding posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' Grades on a regular basis, provided that they have rendered a minimum of three years' non-fortuitous service and have reached the stage of Rs. 560/-. Note : In case a junior employee is considered for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all persons senior to him shall also be held to be eligible notwithstanding that they may not satisfy requisite minimum service conditions. (b) 25% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive Examination open to all non-ministerial Group 'C' staff of the Electrical Engineering Department holding the posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grade and have rendered minimum of 5 years' non-fortuitous service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Senior Deputy Director General Research Design and Standards Organisation, 2. Two Heads of Department (one Head of Department will necessarily be from the Department for which the selection/examination is being conducted. Senior most member will be the Chairman).	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
4. Assistant Design Engineer/Assistant Research Engineer/Assistant Inspecting Engineer/ Assistant Liaison Engineer (Signal and Tele-communication Engineering Department).	9* (1982) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'B' (gazetted) (non-ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable up to 5 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : (i) Degree in Electric/ Electrical Communication/Tele-communication Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Two years professional experience. Note 1 : Qualifications are relaxable as the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : (a) 75% of the vacancies shall be filled by promotion through selection which will include ordinarily a written test and also a viva-voca test) of the non-ministerial Group 'C' staff of the Signal & Telecommunications Engineering Department. The selection will be made from : The staff holding posts in the grade of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grades on a regular basis, provided that they have rendered a minimum of three years' non-fortuitous service and have reached the stage of Rs. 560/-. Note : In case a junior employee is considered for selection	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considerig promotion): 1. Senior Deputy Director General, Research Designs & Standards organisation. 2. Two Heads of Department (one Head of Department will necessarily be from the Department for which the selection/examination is being conducted. Senior most Member will be the Chairman.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

8	9	10	11	12	13
			by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions all persons senior to him shall also be held to be eligible not withstanding that they may not satisfy the requisite minimum service conditions. (b) 25% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental competitive examination to all non-ministerial Group 'C' staff of the Signal & Tele-communication Engineering Department holding the posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grade and have rendered a minimum of 5 years non-fortuitous service in the grade.		

1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Assistant Research Officer (Traffic)	1* (1982) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B' (Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not applicable	No	Not applicable

8	9	10	11	12	13
No	Not applicable	By promotion	Promotion : Through Departmental Selection (which will include ordinarily a written test and also a viva-voce test) of the Group 'C' staff (other than Ministerial staff and staff of Pscho Technical Cell) working in Traffic Research Directorate. The selection will be made from: The staff holding posts in the grade the minimum of which is Rs. 425/- in the revised scale and in higher Group 'C' grades on a regular basis, provided they have rendered a minimum of three years non-fortuitous service and have reached the stage of Rs. 560. Note: In case a junior employee is considered for selection by virtue of his satisfying the relevant minimum service conditions, all persons senior to him shall also be held to be eligible notwithstanding that they may not satisfy the requisite minimum service conditions	Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Senior Deputy Director General, Research Designs and Standards Organisation. 2. Two Heads of Departments (One Head of Department will necessarily be from the Department for which the Selection/examination is being conducted. Senior most member will be the Chairman).	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while selecting an officer for appointment to this post.

[No. ERB-I/77/44/24]

HIMMAT SINGH, Secy., Railway Board & ex-officio Jt. Secy. to the Government of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983